

| | |
|---|--|
| योजना का नाम | विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना |
| योजना के तहत देय लाभ | – छात्रवृत्ति, फीस पुनर्भरण की आर्थिक सहायता |
| पात्रता की शर्तें | <ul style="list-style-type: none"> – छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो । – छात्र/छात्राओं गत वर्ष कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो । – आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशत्ता प्रमाण पत्र हो । – छात्र/छात्रा के अभिभावक /संरक्षक का वार्षिक आय रूपये 2 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। – राजस्थान का मूल निवासी हो । – छात्र /छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति /भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/द्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो । |
| आवेदन कैसे करें | |
| योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां संपर्क करें | – सम्बन्धित जिला अधिकारी— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |

आवेदन पत्र का प्रारूप